[2018] 5 एससीआर 646

ए चंद्र भवन सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 654) बी 01 मई, 2018

[आर. के. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 302/34 – चार अभियुक्तों के अभियोजन– परिस्थितिजन्य साक्ष्य – एक अभियुक्त की दोषमुक्ती और शेष को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाना – उच्च न्यायालय ने तीसरे आरोपी को दोषमुक्त करते हुए अपीलकर्ताओं–अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि की – अपील पर, कहा: अपीलकर्ताओं–अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मामले की परिस्थितियां, घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करना और घटना से सीधे जुड़ा होना, संदेह से परे आरोपी की भागीदारी स्थापित करती है– आरोपी द्वारा रची गयी आत्महत्या की कहानी रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर अविश्वसनीय है – अपीलकर्ता–अभियुक्तों को यह बताना आवश्यक था कि मृतक की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, जिसमें वे विफल रहे– अपीलकर्ताओं में से एक– आरोपी ने अपनी अन्यत्र उपस्थित होने की दलील को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा– दोषसिद्धि की पुष्टि हुई।

भारत का संविधान: अनुच्छेद 136 – आपराधिक मामले में क्षेत्राधिकार – माना जाता है: अनुच्छेद 136 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, अदालतों को तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए जो साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित हैं – अदालत को नए सिरे से सबूतों की सराहना नहीं करनी चाहिए जब तक कि प्रथम दृष्टया यह न दिखाया जाए कि नीचे की अदालतों ने साक्ष्य के प्रासंगिक टुकड़े पर विचार नहीं किया है , या उनके निष्कर्षों में विकृति या/और बेतुकापन मौजूद था।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा: 1. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब निचली अदालतों ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समवर्ती निष्कर्ष दिये हैं जो साक्ष्य की सराहना पर आधारित हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह अदालत ऐसे समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमी होगी और दूसरी बात यह है कि नए सिरे से साक्ष्य की सराहना नही करेगी जब तक कि प्रथम दृष्टया यह न दिखाया जाए कि नीचे की दोनों अदालतों ने या तो प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया या नीचे की दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति या /और बेतुकापन आदि मौजूद है। [पैरा 31] [652–सी–डी]

2. नीचे दिए गए न्यायालयों ने सबूतों की उचित सराहना की और सही निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता हत्या के अपराध के लिए जिम्मेदार थे। [पैरा 30] [652–बी]

3. दहेज की मांग के तथ्य को साबित करने के लिए सबूत हैं। पीडब्लू–1, मृतक का सगा भाई, शिकायतकर्ता था। नीचे की दो अदालतों द्वारा उसके साक्ष्य पर सही भरोसा किया गया कि अपीलकर्ता लगातार मृतिका और उसके परिवार के सदस्यों से दहेज की मांग कर रहे थे और वे उसे इस कारण से

परेशान करते थे। पीडब्लू–1 की गवाही स्वाभाविक और सुसंगत है जिसमें कोई भौतिक विरोधाभास नहीं है, इसलिए इस पर अविश्वास करने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक अपीलकर्ताओं द्वारा रची गई आत्महत्या की कहानी का सवाल है, यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों से पूरी तरह से अविश्वसनीय है।[पैरा 33 और 34] [652–एफ–जी]

4. अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितियों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये परिस्थितियां घटनाओं की श्रृंखला स्थापित करती हैं और संबंधित घटना से सीधे जुड़ी होने के कारण, उचित संदेह से परे अपराध में अपीलकर्ताओं की भागीदारी स्थापित करती हैं। वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं के खिलाफ परिस्थितियों से परिस्थितिजन्क साक्ष्य द्वारा अपराध साबित करने के लिए निर्धारित कसौटी पर पूर्णतः संतुष्ट है। [पैरा 37] [653–एच; 654–ए]

5. दोनों अपीलकर्ता–आरोपी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयानों में उन परिस्थितियों के बारे में पूछे जाने पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे जिनमें उनके घर में घटना हुई थी। जब घटना उनके घर में घटित हुई, तो अपीलकर्ताओं को यह बताना आवश्यक था कि मृतक की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। हालाँकि, वे कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। अपीलकर्ता–अभियुक्त 'टी' भी अपनी अन्यत्र उपस्थिति की दलील को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा। [पैरा 39 और 40] [654–सी–डी, ई]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 654, 2018 की आपराधिक अपील संख्या 655 के साथ आपराधिक अपील संख्या 1114/1986 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 20.05.2014 के निर्णय और आदेश से।

नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता, शेखर प्रीत झा, अखंड प्रताप सिंह, सुश्री अदिति मित्तल, बाहुल कालरा, सुश्री मेघना शर्मा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

रत्नाकर दास, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, समीर सिंह, प्रतिवादी के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील अभियुक्तगण द्वारा 1986 की आपराधिक अपील संख्या 1114 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.05.2014 के खिलाफ दायर की गयी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं–अभियुक्तों के संबंध में अपील को खारिज कर दिया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फतेहपुर द्वारा पारित दिनांक 07.05.1986 में सत्र परीक्षण संख्या 291/1984 के फैसले और आदेश की पुष्टि की।

3. अपील में शामिल मुद्दों की सराहना करने के लिए, मामले के तथ्यों को सामने रखना करना आवश्यक है।

4. चार व्यक्तियों, (1) त्रिभुवन सिंह (अपीलकर्ता), (2) चंद्र भवन सिंह (अपीलकर्ता) (3) श्रीमती मकोई देवी और (4) ज्वाला सिंह पर "सत्यवती" नाम की एक महिला की हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया गया।

5. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर ने 1984 के सत्र परीक्षण संख्या 291 में दिनांक 07.05.1986 के अपने फैसले से एक अभियुक्त ज्वाला सिंह को बरी कर दिया लेकिन शेष तीन आरोपियों को दोषी ठहराया।

त्रिभुवन सिंह को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/34 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। श्रीमती मकोई देवी को धारा 302/34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चंद्र भवन सिंह को आईपीसी की धारा 32/34 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और धारा 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। चंद्र भवन सिंह की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

6. उपरोक्त तीन दोषी अभियुक्तों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई अपनी –अपनी दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, एक आरोपी – श्रीमती मकोई देवी के संबंध में अपील को स्वीकार कर लिया। मकोई देवी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन शेष दो आरोपियों, अर्थात् (1) त्रिभुवन सिंह और (2) चंद्र भवन सिंह के संबंध में अपील खारिज कर दी गई और तदनुसार उनकी दोषसिद्धि और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की गई।

7. शेष दो अभियुक्तों ने अपनी–अपनी दोषसिद्धि से व्यथित महसूस किया और सजा सुनाए जाने के बाद इस न्यायालय में अलग–अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की।

8. जहां तक 2014 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7049 का संबंध है, यह चंद्र भवन सिंह द्वारा दायर की गई है, जबकि 2014 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 7664 का संबंध है, यह त्रिभुवन सिंह द्वारा दायर की गई है।

9. इन दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है।

10. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का मामला निम्नानुसार है:

ऊपर बताए गए चारों आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं। श्रीमती मकोई देवी त्रिभुवन सिंह और चंद्र भवन सिंह की माता हैं। दूसरे शब्दों में, त्रिभुवन सिंह और चंद्र भवन सिंह श्रीमती मकोई देवी के दो पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं।

12. मृतक–सत्यवती त्रिभुवन सिंह की पत्नी थी। उनकी शादी साल 1981 में हुई थी। सत्यवती 8 दिनों तक अपने पति के साथ अपने ससुराल में रही और फिर अपने माता –पिता के घर लौट आई।

13. अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि सत्यवती के ससुराल के सदस्य, जिसमें उपरोक्त चार आरोपी भी शामिल थे, जब वह अपने ससुराल में रह रही थ तो उसे उसकी शादी में कोई दहेज न लाने के लिये परेशान कर रहे थे। परिवार के सदस्य दहेज में 'मोटर साइकिल' की मांग कर रहे थे। उपरोक्त चार आरोपियों द्वारा उसे लगातार परेशान किए जाने के कारण, उसके लिए घर में रहना असहनीय हो गया था और इसलिए, वह अपने माता–पिता के घर लौट आई और अपने माता–पिता के साथ रहने लगी।

14. 15.03.1984 को ज्वाला सिंह और चंद्र भवन सिंह सत्यवती के माता –पिता के घर गए और सत्यवती को उसके ससुराल वापस ले आए। 18.03.1984 को (3 दिनों के बाद) सत्यवती अपने ससुराल में मृत पाई गई। गोली लगने से उसकी मौत हो गई।

15. चन्द्र भवन सिंह– त्रिभुवन सिंह के बड़े भाई ने उसी दिन यानी 18.03.1984 को किशनपुर के पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि सत्यवती ने बंदूक की गोली लगने से घर में आत्महत्या कर ली और उसका मृत शरीर घर के आंगन में पड़ा था। एक प्राथमिकी गांव के प्रधान ने भी दर्ज कराई थी। यह थाना किशनपुर में एफआईआर नंबर 30/1984 (जीडी नंबर 14/84) के रूप में दर्ज किया गया था। मृतका के भाई राजेंद्र (पीडब्ल्यू–1) ने उसी दिन प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि उपरोक्त नामजद सभी चार आरोपियों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण उसकी बहन की हत्या करी है।

16. 19/20.04.1984 को सभी चार आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में, पुलिस ने त्रिभुवन सिंह की निशानदेही पर उसके घर से बंदूक बरामद की, जिसे अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। शव का पोस्टमार्टम किया गया जिससे पता चला कि सत्यवती की हत्या की गई थी। पुलिस ने आगे की जांच की, सबूत एकत्र किए, विशेषज्ञों से बैलिस्टिक रिपोर्ट प्राप्त की और आरोपी व्यक्तियों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए।

17. 09.06.1984 को पुलिस ने चालान दाखिल किया। मामले को सुनवाई के लिए फतेहपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सुपुर्द किया गया । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 201 के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा चार के तहत आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए छह गवाहों को परिक्षित कराया।

18. दिनांक 07.05.1986 के आदेश द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने ज्वाला सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाते हुए बरी कर दिया, लेकिन त्रिभुवन सिंह (पति), श्रीमती मकोई देवी (सास) और चंद्र भवन सिंह (देवर) को दोषी ठहराया और उन्हें सत्यवती की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

19. त्रिभुवन सिंह, श्रीमती मकोई देवी और चंद्र भवन सिंह ने व्यथित होकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ इलाहाबाद में उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

20. आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने त्रिभुवन सिंह और चंद्र भवन सिंह द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और तदनुसार उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने श्रीमती मकोई देवी (सास) को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

21. इस फैसले के खिलाफ आरोपी त्रिभुवन सिंह और चंद्र भवन सिंह ने इस अदालत में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान दो अपील दायर की हैं।

22. जहां तक ज्वाला सिंह और श्रीमती मकोई देवी को बरी किए जाने का संबंध है, इसे अंतिम रूप ले चुका है क्योंकि राज्य ने न तो उच्च न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में कोई अपील दायर की है।

23. अपीलकर्ताओं (आरोपियों) के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागेंद्र राय और प्रतिवादी (राज्य) के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रत्नाकर दास को सुना।

24. अपीलकर्ताओं (आरोपियों) के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागेंद्र राय ने आक्षेपित फैसले की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि सबसे पहले, दोनों अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि, हालांकि प्रकृति में समवर्ती है, पर न तो तथ्यात्मक रूप से और न ही कानूनी रूप से टिकाऊ है।

25. दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए घटनाओं की पूरी श्रृंखला को साबित करने के लिए साक्ष्य जोड़ना

आवश्यक था। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा सत्यवती की हत्या करने के अपराध को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, और इसलिए दोषसिद्धि कानून की दृष्टि से गलत है।

26. तीसरे स्थान पर, अपनी दूसरी दलील का समर्थन करने के लिए विद्वान वकील ने हमें सबूतों के माध्यम से यह दिखाने के लिए लिया कि अपीलकर्ताओं को दोषी साबित करने के लिए घटनाओं की श्रृंखला स्थापित नहीं हुई है।

27. चौथे स्थान पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सबूतों से मामले में पेश होने वाली परिस्थितियों से पता चलता है कि सत्यवती ने आत्महत्या की थी।

28. जवाब में, प्रतिवादी (राज्य) के विद्वान वकील ने नीचे की दोनों न्यायालयों द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया और नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप न करते हुए अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की।

29. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद, हमें अपीलों में कोई गुण नहीं मिला।

30. हमारी राय में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने सबूतों की उचित सराहना की और एक सही निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता सत्यवती की हत्या के अपराध के लिए जिम्मेदार थे।

31. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब नीचे दिए गए न्यायालयों ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं जो सबूतों की उचित सराहना पर आधारित हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह न्यायालय ऐसे समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीमा होगा और दूसरी बात यह है कि सबूतों की सराहना तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि यह प्रथम दृष्टया नहीं दिखाया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने या तो प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया या नीचे की दोनों अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति या /और बेतुकापन आदि मौजूद है।

32.हालाँकि, हमने यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों का अवलोकन करने का प्रयास किया कि क्या नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में किसी प्रकार की खामी है या /और क्या समवर्ती निष्कर्ष कानूनी और तथ्यात्मक रूप से टिकाऊ होने में सक्षम हैं या उलटने की आवश्यकता है। साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद, हमारा मानना है कि निष्कर्ष कानूनी और तथ्यात्मक रूप से टिकाऊ हैं।

33. हम पाया कि दहेज की मांग के तथ्य को साबित करने के लिए सबूत हैं। राजेंद्र (पीडब्ल्यू–1) मृतका का सगा भाई है। वह शिकायतकर्ता था। नीचली दो अदालतों द्वारा उनके साक्ष्य पर सही ढंग से भरोसा किया कि अपीलकर्ता सत्यवती और उसके परिवार के सदस्यों से लगातार दहेज (मोटर साइकिल) की मांग कर रहे थे और वे उसे इस कारण परेशान करते थे। पीडब्ल्यू –1 की गवाही स्वाभाविक और सुसंगत है जिसमें कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, इसलिए, हम इस पर अविश्वास करने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। यह स्वीकार किये जाने योग्य है।

34. जहां तक अपीलकर्ताओं द्वारा रचि आत्महत्या की कहानी का संबंध है, हमारे विचार में, यह रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों पर पूरी तरह से अविश्वसनीय है।

35. सबसे पहले, किसी व्यक्ति के लिए डीबीबीएल गन का उपयोग करके आत्महत्या करना असंभव बल्कि कठिन है ; दूसरा, यह साक्ष्य के रूप में सामने आया है कि सत्यवती के शरीर पर बंदूक की गोली के 7

घाव देखे गए थे। हमारे विचार में, किसी व्यक्ति के लिए हाथों में डीबीबीएल बंदूक के उपयोग के साथ अपने शरीर पर एक के बाद एक सात बंदूक की गोलियां चलाकर आत्महत्या करना संभव नहीं है। हालांकि, कोई पिस्तौल से एक गोली चलाकर आत्महत्या कर सकता है। हालांकि, अपीलकर्ताओं के मामले में ऐसा नहीं था।

36. अपराध करने में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता पर आते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने सत्यवती की हत्या के अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए अपीलकर्ताओं के खिलाफ पेश होने वाली निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया। ये परिस्थितिया नीचे दी गयी है:

"यहां अभियोजन पक्ष ने इस तथ्य को साबित करके अपने हिस्से के बोझ का निर्वहन किया है कि वह इस तथ्य को साबित करने में सक्षम था (i) दहेज की मांग की गई है (ii) मृतका को उसके ससुराल में ले जाया गया था (iii) मृत्यु के समय मृतका अपने ससुराल वालों के साथ रह रही है और अपीलकर्ता घर के निवासी हैं (iv) विचाराधीन मौत घर के अंदर हुई है (v) चोटें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि यह हत्या का मामला है (vi) अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा रचि आत्महत्या की कहानी चिकित्सिय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थी (vii) अपराध करने में डीबीबीएल बंदूक का उपयोग किया गया है और एक बार घटनाओं की श्रृंखला स्पष्ट रूप से जुड़ जाने के बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के मद्देनजर, चूंकि विचाराधीन युवा दुल्हन की घर के अंदर हत्या कर दी गई है, तो घर के सदस्यों पर इस बात का ठोस स्पष्टीकरण देने का भार है कि अपराध कैसे किया गया था। घर में रहने वाले लोग केवल चुप रहकर और इस आधार पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देकर बच नहीं सकते कि अपने मामले को स्थापित करने का बोझ पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और किसी भी स्पष्टीकरण की पेशकश करने के लिए एक आरोपी पर कोई कर्तव्य नहीं है। सिद्धांत यह है कि जब आरोपी के सामने कोई अभियोगात्मक परिस्थिति रखी जाती है और कहा जाता है कि आरोपी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है जो प्रथम दृष्टया गलत या असत्य पाया जाता है, तो यह इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी बन जाती है।

37. हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सात परिस्थितियों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये सात परिस्थितियां घटनाओं की श्रृंखला को स्थापित करती हैं और संबंधित घटना से सीधे जुड़ी होने के कारण,उचित संदेह से परे अपराध को अंजाम देने में अपीलकर्ताओं की भागीदारी को स्थापित करती है। हमारी राय में, इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अपराध साबित करने के लिए निर्धारित परीक्षण अपीलकर्ताओं के खिलाफ उपरोक्त सात परिस्थितियों से पूरी तरह से संतुष्ट है।

38. इसके अलावा, हम सबूतों से यह भी पाते हैं कि चंद्रभवन सिंह – अपीलकर्ता ने सबसे पहले घटना के बारे में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्यवती ने आत्महत्या कर ली है। जाहिर है, यह तथ्य साबित करता है कि पहला, वह उस घर में मौजूद था जहां सत्यवती मृत पाई गई थी और दूसरा, उसने झूठा कहा कि सत्यवती ने आत्महत्या की क्योंकि वह वास्तविकता से पुलिस का ध्यान हटाना चाहता था। जैसा कि ऊपर माना गया है, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था कि यह आत्महत्या का मामला था।

39. हम यह भी पाते हैं कि दोनों अभियुक्त (अपीलकर्ता) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयानों में उन परिस्थितियों के बारे में पूछे जाने पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल

रहे, जिनमें उनके घर में घटना हुई थी। जब यह घटना उनके घर में हुई, तो अपीलकर्ताओं को उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी जिनमें सत्यवती की मृत्यु हो गई। हालांकि, वे कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे।

40. हम यह भी पाते हैं कि त्रिभुवन सिंह ने कहा कि घटना के समय वह घर में मौजूद नहीं था और उस दिन वह इलाहाबाद में था। वह इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी सबूत देने में भी असफल रहे।

41. इसलिए, हमारा मानना है कि नीचे के दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ताओं को अपराध के लिए दोषी ठहराया है और इसलिए, हमें नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

42. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीले विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

अपीले खारिज की जाती है।

कल्पना के. त्रिपाठी

vetted by Vidisha Bhushan